निर्देश: श्रीमति सयाली संजीव जोशी, सदस्य

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग

5 अक्टूबर, 2005

[बी. पी. सिंह, न्यायाधीश तरुण चटर्जी, न्यायाधीश और पी. के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधीश]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 317 (1)-के तहत संदर्भ-महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्य-खिलाफ आरोप-महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा, 1999 में कदाचार के संबंध में - की जांच- आरोप तय करना- अभिनिर्धारित, इस स्तर पर इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य पर विस्तार से विचार करे कि क्या आरोप साबित हुए हैं-लेकिन अभिलेख पर तत्वों की जांच इस दृष्टिकोण से की जानी चाहिए कि यदि इसका खंडन नहीं किया जाता है, तो कदाचार के आरोप लग जाएँगे -भारत के अटॉर्नी जनरल के नोट में निहित आरोप 1, 2,4 और 5 सदस्य के खिलाफ तैयार किए जाएं।

सलाहकार क्षेत्राधिकार: 2004 की संदर्भ सं. 1.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 (1) के तहत)

अमरेंद्र शरण, भारत के महान्यायवादी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, वी. ए. मोहता, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शालिनी रंजन, गौरव अग्रवाल, पी परमेश्वरन, अजीत कुमार सिन्हा, एस. एस. शिंदे, रवींद्र केशवराव अदसुरे, मकरंद डी अड़कर, विजय कुमार, नीलकांत नायक और विश्वजीत सिंह उपस्थित पक्षों की ओर से उनके साथ।

न्यायालय का निर्णय **बी. पी. सिंह, न्यायाधीश** द्वारा दिया गया:

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को जांच और प्रतिवेदन करने के लिए संदर्भित किया कि क्या श्रीमति सयाली संजीव जोशी, सदस्य, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, को कदाचार के आधार पर आयोग के सदस्य के कार्यालय से हटाया जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1999 में पुलिस उप निरीक्षकों, बिक्री कर निरीक्षकों और मंत्रालय सहायकों के चयन के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी। उक्त परीक्षा में कदाचार के संबंध में आयोग द्वारा दर्ज की गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए, श्रीमति सयाली संजीव जोशी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 8 जून, 2003 को गिरफ्तार किया था। बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई जिसमें परीक्षा के परिणामों में हेरफेर करने में उच्च

अधिकारियों के साथ एजेंटों की साजिश का आरोप लगाया है और श्रीमति सयाली संजीव जोशी का नाम लिया गया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास सबूत हैं।

भारत के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के राज्यपाल से एक पत्र दिनांकित 5 अगस्त, 2003 प्राप्त हुआ, जिसमें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से प्राप्त पत्र दिनांकित 16 जून, 2003 के साथ संलग्नक इस आशय से शामिल थे कि आयोग की सदस्य श्रीमति सयाली संजीव जोशी आयोग के परिणामों से संबंधित एक घोटाले में शामिल है, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत उचित कार्रवाई की आवश्यकता थी। इस पृष्टभूमि में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत उपर्युक्त संदर्भ दिया।

इस न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2004 के अपने आदेश द्वारा भारत के महान्यायवादी को बयान दायर करने का निर्देश दिया जिसमें कदाचार के आधारों के साथ तथ्यों का उल्लेख हो जिनका भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 (1) के अर्थ के भीतर जांच करना प्रस्तावित है -

जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, और गवाहों की सूची जिनकी जांच करने का प्रस्ताव है, को भी दायर किया जाना है। इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने तथ्यों के बयान, गवाहों की सूची और दस्तावेजों की सूची के साथ आरोप युक्त एक बयान 2 मार्च, 2005 को दायर किया। प्रत्यर्थी के

विद्वान वकील को अब बनाए गए आरोपों का संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था ताकि जांच के दायरे को परिभाषित किया जा सके। उसके बाद आदेश दिनांकित 1 अप्रैल, 2005 के द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया गया कि वो भारत के विद्वान महान्यायवादी को अनुवाद के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में सहायता करें ताकि भारत के विद्वान महान्यायवादी आरोपों को पुनः निर्धारित करने या आरोपों का पूरक बनाने के प्रश्न पर राय बना सकें। उसके अनुसरण में भारत के विद्वान महान्यायवादी ने हमारे समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया है। भारत के विद्वान महान्यायवादी ने सूझाव दिया है कि मूल रूप से सुझाए गए 6 आरोपों में से आरोप सं 3 और 6 को हटाया जा सकता है।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। अमरेंद्र शरण, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत संघ की ओर से पेश हुए और निवेदन किया कि भारत के महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए आरोपों को श्रीमति सयाली संजीव जोशी के खिलाफ तैयार किया जा सकता है। हालांकि, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से श्री वी. ए. मोहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने निवेदन किया कि वो दो आरोप भी जिन्हें, विद्वान महान्यायवादी की राय में, इन कार्यवाहियों में लगाया नहीं जा सकता है, को लगाना चाहिए और श्रीमति सयाली

संजीव जोशी को उनके खिलाफ लगाए गए सभी छह आरोपों का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, श्रीमति सयाली संजीव जोशी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि श्रीमति सयाली संजीव जोशी के खिलाफ आरोप तय करने का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है।

भारत के विद्वान महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए आरोप भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और श्रीमति सयाली संजीव जोशी के खिलाफ उन आरोपों को तैयार करना व्यर्थ होगा जो सहायक साक्ष्य के अभाव में विफल होने के लिए बाध्य हैं। हमारे समक्ष उसने पुरजोर आग्रह किया गया कि अभिलेख के तत्व दूर तक भी उपर्युक्त घोटाले में श्रीमति सयाली संजीव जोशी की संलिप्तता की ओर इंगित नहीं करते। दूसरे लोग थे जिन्होनें अवैध और अनियमितताओं की साजिश की होगी और वास्तव में जब तक श्रीमति सयाली संजीव जोशी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद सामने आई, तब तक साजिश रची जा चुकी थी और श्रीमति सयाली संजीव जोशी की भागीदारी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें उनके निवेदन के अनुसार खुलासा हुआ कि उनका आचरण केवल उनकी बेगुनाही के अनुरूप था, न कि उसके

अपराध के अनुरूप। वास्तव में, शुरू में जब एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, तो उन्हें एक गवाह के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक सुधाकर सरोड़े का कबूलनामा हासिल करने के बाद उन्हें कारवाई में एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया।

भारत के विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव से प्राप्त भारी दस्तावेजों का अवलोकन किया और महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से पेश वकील के साथ चर्चा की। आरोपों का प्रस्तावित मसौदा बयान महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य के वकील और श्रीमति सयाली संजीव जोशी के वकील को सौंप दिया गया।

इसके बाद उन्होनें प्रत्येक आरोप के ऊपर श्रीमति सयाली संजीव जोशी सहित पक्षों के रुख पर विचार किया। उनको आरोपों का मसौदा बयान का एक लिखित जवाब भी दिया गया। उनके समक्ष रखे गए तत्वों पर विचार करने के बाद और श्रीमति सयाली संजीव जोशी सहित पक्षकारों की प्रतिकृया पर विचार करने के बाद भारत के विद्वान महान्यायवादी ने सुझाव दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप सं 1, 2, 4, 5 ऐसे आरोप हैं जो अभिलेख पर आए तत्वों द्वारा समर्थित हैं और उन आरोपों को श्रीमति सयाली संजीव जोशी पर लगाया जा

सकता है। भारत के विद्‌वान महान्यायवादी कि राय में आरोप सं 3, 6 को श्रीमति सयाली संजीव जोशी पर ना लगाया जाये।

हमने समझबूझकर, हमारे समक्ष प्रस्तावित आरोपों के गुण-दोष पर विस्तृत निवेदनों को संदर्भित नहीं किया। श्रीमति सयाली संजीव जोशी की ओर से पेश हुए विद्‌वान वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत के विद्‌वान महान्यायवादी द्‌वारा सुझाए गए आरोपों में से कोई भी अभिलेख पर साक्ष्य द्‌वारा साबित नहीं किया जा सकता है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से पेश विद्‌वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. ए. मोहता ने कहा कि सभी छह आरोपों को उन दो आरोपों सहित तैयार किया जाना चाहिए, जो भारत के विद्‌वान महान्यायवादी के विचार में, नहीं लगने चाहिए।

इस स्तर पर इस अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि आरोप साबित होते हैं, अभिलेख उप उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तार से विचार करना जरूरी नहीं।

इस स्तर पर अभिलेख पर उपलब्ध तत्वों कि जांच अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इस दृष्टि से करनी है कि यदि खण्डन नहीं किया गया तो कदाचार के आरोप बनते हैं।

भारत के विद्‌वान महान्यायवादी ने अभिलेख पर उपलब्ध तत्वों पर विचार करने के लिए जतन किया है और उनके द्‌वारा दिया गया

सूझाव कि आरोप सं 3 और 4 को हटा दिया जाये स्वीकार किए जाने योग्य है।

श्री अजीत कुमार सिन्हा, श्रीमति सयाली संजीव जोशी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि इसी कारण से आरोप सं 4 को भी त्याग देना चाहिए। उनके अनुसार, आरोप संख्या 4 वर्ष 2002 में आयोजित परीक्षा से संबंधित है जबकि राष्ट्रपति का संदर्भ वर्ष 1999 में आयोजित परीक्षा के संबंध में है। उन्होंने निवेदन किया कि उपरोक्त आरोप संख्या 4 राष्ट्रपति के संदर्भ कि विषय वस्तु नहीं है।

श्रीमति सयाली संजीव जोशी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा द्वारा उठाए गए प्रश्न पर हम इस स्तर अपनी राय नहीं देना चाहते। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यह श्रीमति सयाली संजीव जोशी के लिए खुला होगा कि वह जांच में यह तर्क दे कि उक्त आरोप संख्या 4 भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ की विषय वस्तु नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति के संदर्भ के दायरे से बाहर है, और इसके परिणामस्वरूप इन करवाइयों में शामिल नहीं है। हम, हालांकि, यह जोड़ने के लिए तत्पर हैं कि हम मामले के इस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और यह पक्षकारों के लिए खुला है कि वे जांच के दौरान अपनी-अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएं।

भारत के विद्वान महान्यायवादी के नोट और हमारे सामने रखे गए तत्वों को देखने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि भारत के विद्वान

महान्यायवादी के नोट में निहित आरोप सं 1,2,4 और 5 को श्रीमति सयाली संजीव जोशी के खिलाफ तैयार किया जाए।

यह मामला अब 25 अक्टूबर, 2005 को सामने आएगा, जब हम इस मामले में अपनाई जाने वाली जांच की प्रक्रिया के सवाल पर पक्षों को सुनेंगे।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।